संख्या-15/13/2002-का-4-2006

प्रेषक,

बी.एन.दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ:: दिनांक:: 15 मई, 2006

विषयः- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश हेतु सृजित संयुक्त सचिव (पी.सी.एस.संवर्ग) के पद को पुनर्जीवित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21 जून, 2002 के द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में विशेष कार्याधिकारी, विज्ञापन के एक निःसंवर्ग पद का सृजन, संयुक्त सचिव (पी.सी.एस.संवर्ग) के एक पद को आस्थगित रखते हुए, किया गया था।

2. आयोग के अनुरोध पर विशेष कार्याधिकारी, विज्ञापन के उक्त निःसंवर्गीय/ अस्थायी पद की निरन्तरता शासनादेश संख्या-15/4/87-का-4-2005, दिनांक 28 अप्रैल, 2005 के द्वारा दिनांक 19.8.2005 तक ही बढ़ाये जाने के कारण अब उक्त पद समाप्त हो गया है, फलस्वरूप संयुक्त सचिव (पी.सी.एस.संवर्ग) वेतनमान रूपये- 14,300-400-18,300 का पद पुनर्जीवित हो गया है। अब उक्त पद पर नियुक्ति विभाग द्वारा पी.सी.एस.संवर्ग के अधिकारी की तैनाती की जायेगी।

3. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2051-लोक सेवा आयोग-आयोजनेतर- 102-राज्य लोक सेवा आयोग-03-राज्य लोक सेवा आयोग (भारित) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-798/दस-2006, दिनांक 29.3.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।

संख्या-15/13/2002(1)का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, वित्त सांख्यिकी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5. नियुक्ति अनुभाग-2/3
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।